क्षेत्रीय कार्यालय–उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद
Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Ghaziabad
Website- www.uppcb.com, e-mail:roghaziabad@uppcb.in

संदर्भ संख्या : 2284/NGT-153/OA-454/2022 दिनांक 13/12/2022

To,

The Registrar,
The National Green Tribunal,
Principal Bench,
New Delhi
E-mail- judicial-ngt@gov.in & ngt.filling@gmail.com

Sub: Report of the Joint Committee in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi Order dated 28-07-2022 in OA No-454/2022 Jai Prakash Versus State of U.P.

Respected Sir,

With reference to the above-mentioned subject the Joint Committee inspected the site in compliance of Hon'ble National Green Tribunal, order dated 28-07-2022 in OA No-454/2022 Jai Prakash Versus State of U.P. Joint Committee's report is hereby submitted for kind perusal and necessary action please.

Enclosure: Joint report.

Yours Sincerely

(Utsav Sharma)
Regional Officer

Copy to:

1. Member Secretary, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
2. Chief Environmental Officer, Circle-1, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.
3. Shri Pradeep Misra, Advocate, Hon'ble Supreme Court/NGT, New Delhi for perusal and necessary action please.
4. Law Officer-I, U.P. Pollution Control Board, Lucknow for information.

Regional Officer

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 454 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Jai Prakash ...Applicant

Versus

State of U.P. ...Respondent(s)

INDEX

S.No.	Description	Pg.No.
1	Status Report in Compliance of Hon'ble National Green Tribunal's order dated 28.07.2022 in OA 454/2022	1-2
2	**Annexure I** – Copy of Report received from the Revenue Department	3-4
3	**Annexure II** – Copy of Report received from Ghaziabad Development Authority	5-5

FILED BY

13/12/2022

UTSAV SHARMA

Regional Officer, UPPCB

Ghaziabad

माо एन०जी०टी० नई दिल्ली मे योजित OA No-454/2022 Jai Prakash Versus State of Uttar Pradesh के सम्बन्ध मे निरीक्षण आख्या।

माо एन०जी०टी० नई दिल्ली मे योजित OA No-454/2022 Jai Prakash Versus State of Uttar Pradesh में पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 कों आदेश पारित किए गये है, जिसका मुख्य अंश निम्नवत है:–

"………Mr. Jai Prakash resident of Akash Nagar Indergarhi, District Ghaziabad has sent this letter petition, which has been treated and registered as original application, complaining about development of a colony on agricultural land by illegal construction at Village Dasna, Tehsil Dasna District Ghaziabad. The applicant has further submitted that he made complaints to the concerned Authorities but no action has been taken on the same.

In view of the grievances made in the application, we are of the view that the factual position needs to be verified and remedial action is required to be taken on the basis thereof in case of violation of environmental norms. We accordingly constitute Joint Committee of State PCB, SEIAA and District Magistrate, Ghaziabad and direct the Joint Committee to meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicant, verify the factual position and take requisite action by following due process of law. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance. Factual and action taken report may be furnished within O. A. No. 454/2022 Jai Prakash Vs. State of Uttar Pradesh three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF……."

उपरोक्त के कम मे संयुक्त समिति के सदस्य विपिन कुमार, अपर जिलाधिकारी (नगर), गाजियाबाद, प्रतीक सिंह, नायब तहसीलदार, गाजियाबाद, संजीव कुमार, लेखपाल–डासना, गाजियाबाद, डॉ० अमृत लाल हलधर सदस्य एस०ई०ए०एसी०–2, किशन सिंह, सहायक पर्यावरण अभियंता, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 05.11.2022 को स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान शिकायतकर्ता श्री जय प्रकाश (मो0 9717337211) से दूरभाष पर सम्पर्क किया गया, उनके द्वारा शहर से बाहर होना अवगत कराया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:–

1. निरीक्षण के दौरान श्री जय प्रकाश से दूरभाष पर ग्राम डासना में कृषि भूमि पर विकसित हो रही अवैध कालोनी की जानकारी चाही गयी, जिसके सम्बन्ध में उनके द्वारा शिकायत की गयी है। तत्कम में उनके द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम डासना देहात के अन्तर्गत विकसित आकाश नगर कालोनी अवैध रूप से कृषि भूमि पर विकसित की गयी है तथा ग्राम के तालाब, सार्विजनिक भूमि, चकरोड इत्यादि पर अवैध कब्जे के सन्दर्भ में उनके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में शिकायत की गयी है।
2. ग्राम पंचायत डासना देहात के अन्तर्गत आकाश नगर कालोनी के सम्बन्ध में वहॉ के निवासियों से वार्ता की गयी वार्ता के दौरान अवगत कराया गया कि आकाश नगर लगभग 20 से 25 वर्ष पुरानी कालोनी है, जिसे किसी एक व्यक्ति व बिल्डर्स द्वारा विकसित नही किया गया है। किसानो द्वारा स्वयं प्लाटिंग कर विकय की गयी है तथा आकाश नगर कालोनी में मकानो की संख्या लगभग चार हजार एवं आबादी लगभग बीस हजार अवगत करायी गयी है।

3. शिकायतकर्ता द्वारा ग्राम के तालाब व खसरा संख्या 232, 234 के पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को प्रेषित शिकायत का उल्लेख किया गया। निरीक्षण के दौरान तालाब पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में लेखपाल द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल तालाब न हो कर बडा रजवाहा है, जो मौके पर खाली है तथा तालाब के रूप में पानी भरा हुआ है। खसरा नं0 232 एवं 233 संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है, जिन पर लगभग 40 वर्ष पुरानी सघन आबादी बनी हुयी है। उक्त के सम्बन्ध में राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत की आख्या प्रति संलग्न है **(संलग्नक–1)**।

4. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश के कम में आकाश नगर की भूमि के प्रयोग सम्बन्ध में सचिव, गाजिाबाद विकास प्राधिकारण, गाजियाबाद को उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद के पत्र संख्या 2145/एनजीटी–153/ओए–454/2022 दिनांक 23.11.2022 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। उक्त पत्र के परिपेक्ष्य में सचिव, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद प्रेषित किया गया, जिसके अनुसार खसरा नं. 165, 196, 197, 232, 233, 234, 237, 238 पर आवासीय/आबादी है। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न है**(संलग्नक–2)**। निरीक्षण के दौरान लिये गये फोटोग्राफ निम्नवत् है:–

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(किशन सिंह) सहायक पर्यावरण अभियंता उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गाजियाबाद।	(प्रतीक सिंह) नायब तहसीलदार गाजियाबाद।	(डॉ0 अमृत लाल हलधर) सदस्य एस0ई0ए0एसी0–2	(गिरीश कुमार) अपर जिलाधिकारी (नगर) गाजियाबाद।

Annexure-I

18/11/22

महोदय

संलग्न पत्र NGT के आदेशानुसार आज दिनांक 05.11.2022 को प्रदूषण विभाग एवं राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण आख्या निम्न प्रकार है

सादर अवगत कराना है कि ग्राम डासना परगना डासना तह० व जिला गाजियाबाद को खसरा संख्या 196 रकबा 0.253 माल अभिलेखों मे बड़ा राजवाहा खाते शुदा व खसरा संख्या 197 रकबई 0.089 हे० रास्ता अंकित है जो मौके पर खाली है तथा तालाब के रूप मे पानी भरा हुआ है। तथा खसरा संख्या 165 रकबई 0.145 हे० पर नाली अंकित है जिस पर लगभग 12 फीट चौड़ा सघन आबादी का रास्ता बना हुआ है खसरा संख्या 232 रकबई 0.069, ख० सं० 233 रकबा 0.069 हे० व ख० सं० 234 रकबा 0.070 हे० संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे अंकित है जिन पर लगभग 40 वर्ष पुरानी सघन आबादी बनी हुई है खसरा संख्या 237 रकबई 0.035 चकमार्ग, ख० सं० 238 रकबा 0.013 नाली व पक्का खड़न्जा के रूप मे दर्ज है जो मौके पर खाली है। कलौनी भी बना हुआ है ~~शिकायतकर्ता~~ की शिकायत निराधार है। उचित कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सेवा मे प्रस्तुत है। गवाह व नजरी नक्शा संलग्न है।

10.11.22
संजीव कुमार
लेखपाल
तहसील गाजियाबाद
क्षेत्र.............................

महोदय, लेखपाल आख्या सादर प्रेषित
22
चन्द्रपाल सिंह
राजस्व निरीक्षक
(डासना) गाजियाबाद

2683/SDM/22
प्रेषित

महोदय, रा०नि० आख्या सादर प्रेषित
11/11/22
नायब तहसीलदार
गाजियाबाद

प्रेषित
11/11/22
तहसीलदार
गाजियाबाद

SDM(I)
उप जिलाधिकारी
गाजियाबाद
14/11/22

नजरी नक्शा

ग्राम डासना परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद
बाबत खसरा संख्या 196, 197, 165, 237, 238

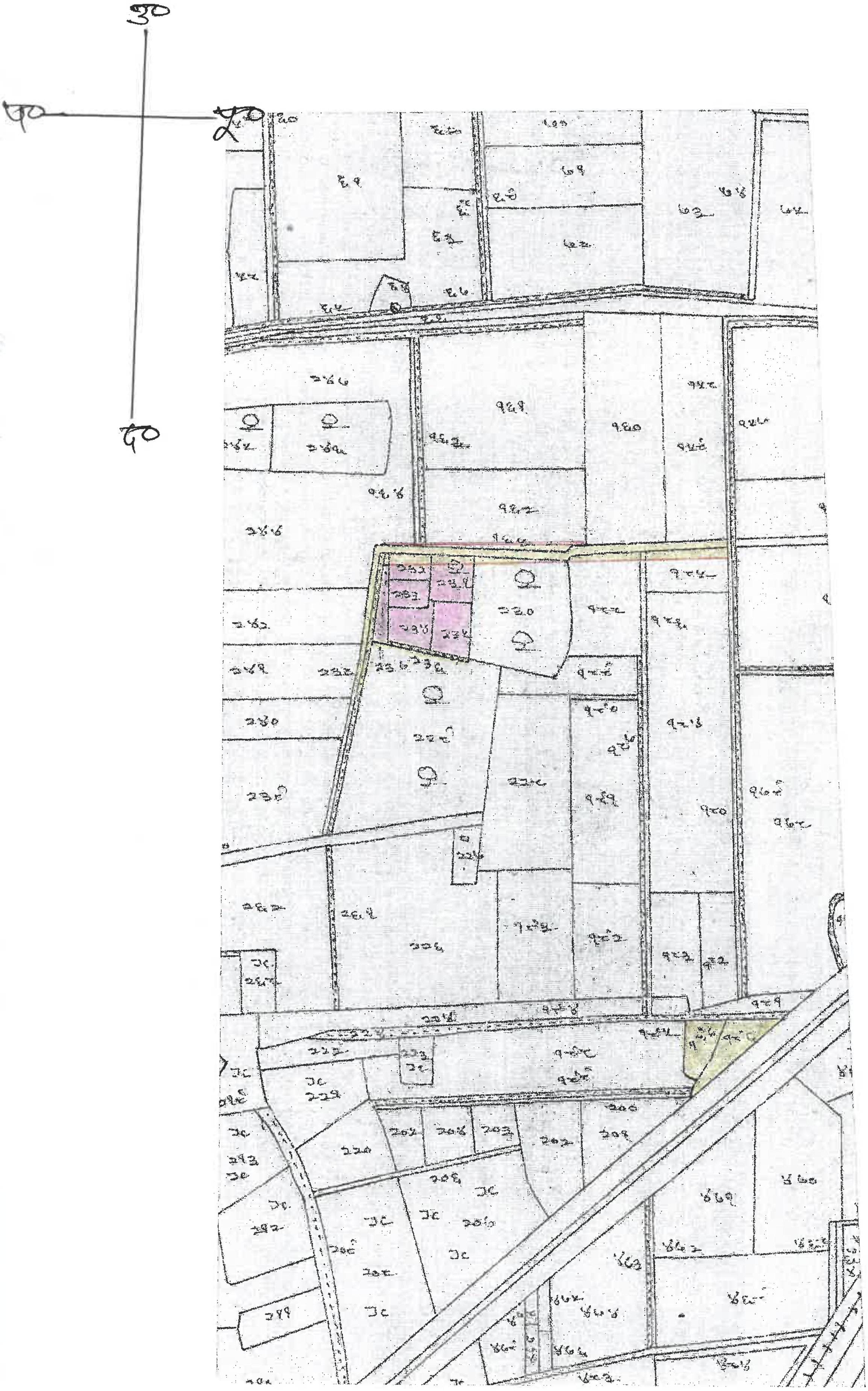

10-11-22

संजीव कुमार
लेखपाल
तहसील गाजियाबाद
क्षेत्र..............................

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

विकास पथ, गाजियाबाद।

पत्रांक / /2022 दिनांक..............

सेवा मे,

श्री उत्सव शर्मा
क्षेत्रीय अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय– उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
आई.एन.एस.–2, सेक्टर–16, वसुन्धरा
गाजियाबाद।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली मे योजित ओ0ए0 संख्या 454/2022 जय प्रकाश बनाम स्टेट ऑफ उ0प्र0 मे पारित आदेश दिनांक 28.07.2022 के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत स्वकीय पत्र सं0 2145/एनजीटी–153/ओए–454/2022 दिनांक 23.11.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से उपजिलाधिकारी से प्राप्त आख्या मे उल्लिखित खसरा नम्बरान के भू–उपयोग के सम्बन्ध मे जानकारी चाही गई है। उक्त के कम मे गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार ग्राम डासना के प्रश्नगत खसरा नम्बरान का भू–उपयोग मौटे तौर पर निम्न प्रकार है :–

क0 सं0	खसरा सं0	गाजियाबाद महायोजना–2021 के अनुसार भू–उपयोग
1	165	खसरा खतौनी के अनुसार अकृषिक भूमि–स्थल सडके, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोग के काम मे लायी जाती हो।
2	196	45 मी0 चौड़े महायोजना मार्ग के उपरान्त शेष भाग आबादी
3	197	आबादी
4	232	आवासीय
5	233	आवासीय
6	234	आवासीय/आबादी
7	237	आबादी
8	238	खसरा खतौनी के अनुसार अकृषिक भूमि–स्थल सडके, रेलवे, भवन और ऐसी दूसरी भूमियां जो अकृषिक उपयोग के काम मे लायी जाती हो।

उपरोक्त खसरा नम्बरान का भू–उपयोग प्रथम दृष्टया मौटे तौर पर परीक्षण किया गया है। स्पष्ट भू–उपयोग प्राप्त किये जाने हेतु प्रश्नगत खसरा नम्बरान का टोटल स्टेशन सर्वे एवं मास्टर प्लान पर सजरा सुपरइम्पोज (सक्षम स्तर से सत्यापित प्रति) प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जा सकेगा। नाली की भूमि के सम्बन्ध मे निर्गत शासनादेशो/आदेशो के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। उक्त के अतिरिक्त भू–अर्जन अनुभाग की आख्यानुसार खसरा सं0 165,196,197,232,233,234 व 238 ग्राम डासना का अर्जन/पुर्नग्रहण गाजियाबाद विकास प्राधिकरण हेतु नहीं कराया गया है। कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,

अपर सचिव

पृष्ठांकन सं0: /नियो0अनु0/2022 दिनांक ....

प्रतिलिपिः 1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सादर सूचनार्थ।

अपर सचिव